रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 1994/भाद्र 1, 1916
No. 125] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 1994/BHADRA 1, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 53 निर्यात (पी एन)/92–97

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1994

फाइल सं. 2/7/94 ई-I.—प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 अप्रैल, 1992—31 मार्च, 1997 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1994) के परिशिष्ट 43-क्ष में आने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 15-ई.टी.सी. (पी एन)/92–97 दिनांक 31 मार्च,/1993 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 15-ई.टी.सी. (पी. एन)/92–97 दिनांक 31 मार्च, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

3. सार्वजनिक सूचना सं. 15-ई.बी.सी. (पी एन)/92–97 दिनांक 31-3-1993 की क्रम सं. 16 के सामने आने वाली प्रविष्टि में क्रम सं. 16 के बाद क्रम सं. 16(2) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"(2)	हस्तनिर्मित ऊन/सिंथेटिक/अन्य फर्श पर बिछाने की ऊनी दरियां, दरियां, चेन स्टिच्ड गलीचे, नीडल प्वाइन्ट गलीचे,	निर्यात केवल (डी/ए) स्वीकृति के मद्दे दस्तावेजों के आधार पर अनुमति होगा यदि वह बैंक गारन्टी से समर्थित है।"

गबास और नमदा सहित रेशमी
कालीन ।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 53, EXP-(PN)|92—97

New Delhi, the 23rd August, 1994

File No. 2|7|94|E-I.—Attention is invited to Public Notice No. 15-ETC(PN)|92—97 dated the 31st March, 1995 appearing in Appendix XLIII-I of the Handbook of Procedures Vol. I April, 1992-31st March, 1997 (Revised Edition : March, 1994).

2. The Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Public Notice No. 15-ETC(PN)|92—97 dated the 31st March, 1993 :—

3. In entry appearing against S. No. 16 of Public Notice No. 15-ETC(PN)|92—97 dated 31-3-1993 the following shall be added after S. No. 16 as S. No. 16 (ii) :—

"(ii) Hand made woollen\|synthetic\| silk carpets including other floor covering like woollen durries, druggests, chain stitched rugs, needle point rugs, gabbas and namdhas.	Exports shall be allowed on the basis of documents against acceptance (D\|A) only if backed by Bank Guarantee."

4. This issues in the public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994